मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः04.05.2025

थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा होण्डा सिटी कार में छिपाकर अवैध रूप से परिवहन की जा रही अलग-अलग ब्राण्ड की 310 बोतल अंग्रेजी शराब(अनुमानित कीमत ₹ 20 लाख) के साथ 02 अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन-ओ0पी0सिंह व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन-मुनेन्द्र पाल के नेतृत्व में आज दिनांकः 04.05.2025 को थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपलपुर नहर पुलिया के पास से संदिग्ध होण्डा सिटी कार सवार 02 नफर अभियुक्तों 1.मोहम्मद जावेद पुत्र साबिर अहमद निवासी गोसाई टोला बोरिंग रोड़ थाना पाटलिपुत्र जनपद पटना बिहार व 2.राहुल कुमार पुत्र राजू राय निवासी आलमपुर थाना दीदारगंज जेथुली जनपद पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया। मौके से बरामद वाहन होण्डा सिटी कार की तलाशी ली गयी तो वाहन की डिग्गी में लदी कुल 310 बोतल अंग्रेजी शराब(जॉनी वॉकर रेड लेबल—76बोतल/750ml, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट—144बोतल/750ml, ब्लेंडर प्राइड—58बोतल/750ml, मैजिक मोमेंट्स—32बोतल/750ml) व 02 अदद नम्बर प्लेट बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0स0-143/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 63/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा अंग्रेजी शराब तस्करी में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे अंग्रेजी शराब को हरियाणा से कम दाम में खरीद कर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। जब हम लोग हरियाणा से शराब लेकर चलते है तो हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में फर्जी नम्बर प्लेट DL7CF8951 तथा बिहार में प्रवेश करने पर वास्तविक नम्बर प्लेट BR01CL5985 का इस्तेमाल करते है। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद द्वारा बताया गया कि वह पिछले वर्ष भी होण्डा सिटी कार में हरियाणा से अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा थि कि घोरावल के आगे कार पुलिया के पास पलट गयी थी जिसे छोड़कर हम भाग निकले थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.मोहम्मद जावेद पुत्र साबिर अहमद निवासी गोसाई टोला बोरिंग रोड़ थाना पाटलिपुत्र जनपद पटना,बिहार,उम्र करीब-25 वर्ष।

2.राहुल कुमार पुत्र राजू राय निवासी आलमपुर थाना दीदारगंज जेथुली जनपद पटना,बिहार,उम्र करीब-19 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- ☐ कुल 310 बोतल अंग्रेजी शराब
  - जॉनी वॉकर रेड लेबल—76 बोतल/750 ml
  - रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट—144 बोतल/750 ml
  - ब्लेंडर प्राइड—58 बोतल/750 ml
  - मैजिक मोमेंट्स—32 बोतल/750 ml
- ☐ अंग्रेजी शराब तस्करी में प्रयुक्त एक अदद होण्डा सिटी कार।
- ☐ 02 अदद नम्बर प्लेट DL7CF8951 व BR01CL5985.
- ☐ 02 अदद मोबाइल व ₹ 2400/- नगद(जामा तलाशी)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-143/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 63/63 आबकारी अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त मोहम्मद जावेद उपरोक्त) —

मु0अ0सं0-169/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय —

नहर पुलिया बह्न्द ग्राम गोपलपुर के पास से, आज दिनांकः04.05.2025 को समय 07:58 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- ☐ वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजेश सिंह थाना मड़िहान मय पुलिस टीम।
- ☐ निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।
- ☐ उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।

BR 01CL 5985
IND DL 7CF 8951
MAGIC MOMENTS